नम्बर व तारीख
अहकाम जो ... हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
(जिला भीलवाड़ा राज.)
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—3/2018(2018/00011) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नेनुदास आत्मज केशुदास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा — प्रार्थी

बनाम

1—हगामी बेवा मोहन बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—चम्पालाल आत्मज केशु बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—लक्ष्मण आत्मज केशु बलाइ निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—सोहनलाल आत्मज केशु बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—गिरधारी आत्मज केशु बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—देवा आत्मज केशु बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—डाली बेवा केशु बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—गोटी पत्नि अम्बालाल बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—प्यारी पत्नि मगना बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—मांगूनाथ आत्मज केलानाथ योगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा — विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1. हरीश टेलर— अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 13.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट गलवा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मण्डी पटवार हल्का बागड तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 120 रकबा 0.52 हे0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित आराजी संख्या 120 में संज, बैलगाडी, ट्रैक्टर, पैदल आदि सहित आवागमन ग्राम मण्डी की आबादी से होते हुए चावण्डखेडा जाने वाले रास्ते के पास स्थित विपक्षी संख्या एक लगायत 9 की आराजी संख्या 145 की पूर्वी पाली पर स्थित 18 फीट चौडे रास्ते से जो कि राजस्व नक्शे में डॉट डॉट लाइन से अंकित है से होकर आगे विपक्षी संख्या 10 की आराजी संख्या 147 की पश्चिमी पाली पर स्थित 18 फीट चौडे रास्ते जो भी डॉट डॉट से अंकित है से होकर आगे बिलानाम आराजी संख्या 134 गैमु0 रास्ता बिलानाम गैर काबिल काश्त से होकर आगे बिलानाम चारागाह की आराजी संख्या 121 की पश्चिमी तरफ स्थित रास्ता जो राजस्व नक्शे में डॉटेड लाईन से अंकित है से होकर करता है तथा जिसको 50 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। विपक्षीगण की आराजियात में आवागमन 50 वर्षों से भी अधिक समय से करने से विपक्षीगण की आराजियात संख्या 145 में रास्ते की भूमि को डॉटेड लाईन से तथा आराजी संख्या 147 में रास्ते की भूमि को डॉटेड लाईन से दर्शाया गया है तथा आराजी संख्या 147 में तो रास्ते की भूमि 0.12 है0 रकबे को गै0मू0 रास्ता दर्ज भी कर रखा है तथा आगे बिलानाम आराजी संख्या 134 भी गै0मू0 रास्ता दर्ज है तथा आगे आराजी सख्या 121 में भी निकल रहे रास्ते को डॉटेड लाईन से दर्शाया गया है। जिससे साफ जाहिर है कि यह रास्ता बहुत पुराना है और प्रार्थी इसी रास्ते से आवागमन करता आ रहा है। उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थी की

आराजी में आवागमन करने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है, यही एक मात्र रास्ता है जो प्रार्थी की आराजी में आवागमन करने हेतु उपलब्ध है। विपक्षीगण संख्या एक लगायत दस ने कभी भी पूर्व में आवागमन करने से प्रार्थी को नहीं रोका है किन्तु दिनांक 09.01.2018 को विपक्षीगण ने उनकी आराजियात में जगह जगह छडियां, पत्थर डाल कर उक्त डॉटेड लाईन से दर्शित रास्ते को बन्द कर दिया। जिससे प्रार्थी अपनी आराजी में आवागमन नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को रास्ता खोलने बाबत् कहा तो विपक्षीगण ने कहा कि हमारे खेतों में रास्ता डॉटेड लाईन से दर्शित भले ही है किन्तु जमाबन्दी में रास्ता दर्ज नहीं होने से हम तुम्हें आवागमन नहीं करने देगें और जान माल को खतरा पहुंचाने की धमकी दी। जिससे प्रार्थी को उक्त वर्णित रास्ते को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड रहा है। प्रार्थी रास्ते की भूमि बिलानाम रास्ता दर्ज करने में उपयोग होने वाली भूमि का प्रतिकर नियमानुसार मुद्रा के रूप में जमा करवाने को तैयार है। उक्त वर्णित रास्ता प्रार्थी के लिए अत्यधिक आवश्यकता का रास्ता है तथा उक्त रास्ता प्रार्थी के सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। प्रार्थी इस रास्ते के बन्द हो जाने से अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहा है। इस हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। बिनाय प्रार्थनापत्र दिनांक 09.01.2018 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। और यह प्रार्थनापत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है। विपक्षीगण की आराजियात में होकर रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने का प्रार्थनापत्र होने से वे प्रभावित पक्षकार होने से उन्हें विपक्षीगण बनाये गये हैं।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 15.01.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या एक, छः, आठ से दस तक बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हैं। अतः इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा में भी नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या चार सोहन लाल केशु बलाई उपस्थित हुआ। जिन्होनें आपत्ति पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मण्डी के आराजी नम्बर 120 में जाने के लिए आराजी नम्बर 145 की पूर्वी मैड पर डॉटेड लाइन से होता हुआ आराजी नम्बर 147 में अंकित डॉटेड लाइन से होते हुए आराजी नम्बर 124 की पूर्वी मेड पर होकर चारागाह आराजी नम्बर 121 की पश्चिमी मेड पर डॉटेड लाइन से होकर आवागमन होता है। उक्त वर्णित रास्ता आराजी नम्बर 147 की पश्चिमी मेड एवं आराजी नम्बर 124 की पूर्वी मेड पर बन्द है। उक्त रास्ते के अलावा उक्त आराजी नम्बर 120 में आवागमन हेतु कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में उक्त आराजी 120 आराजी नम्बर 145 की पूर्वी मेड 147 की पश्चिमी मेड 124 की पूर्वी एवं 121 की पश्चिमी मेड पर होकर जाया जा रहा है। उक्त रास्ते में जिस खसरा नम्बर का कितना हिस्सा/रकबा आता है। का विवरण निम्नानुसार है–

क सं.	नाम ग्राम	आ. न.	कुल रकबा है0 में	रास्ते हेतु वान्छित रकबा	नाम खातेदार
1	मण्डी	145	0.73	116*6=696 मी^{2}	हगामी बेवा मोहन बलाई बगैरहा जमाबन्दी अनुसार
2	मण्डी	147	1.51	60*6=360 मी^{2}	मांगूनाथ पिता केलानाथ जोगी सा0 देह खातेदार
3	मण्डी	124	0.17	136*6=816 मी^{2}	मंगना अम्बालाल पिता घीसा बलाई बगैरहा जमाबन्दी अनुसार
4	मण्डी	121	9.10	140*6=840 मी^{2}	चरागाह
				योग=2712 मी^{2}	

वर्तमान में कोई मौके पर रिकार्डेड रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी जो रास्ता चाहता है उसे लाल स्याही से नक्शे में प्रस्तावित किया गया है। आराजी नम्बर 120 रकबा 0.52 है0 में आवागमन हेतु कालम पांच व छः में दर्शाये गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। ग्राम मण्डी की डी.एल. सी दर असिंचित 42500/– रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते में कुल 0.2712 है0 यानि 1 बीघा 5

बिस्वा भूमि उपयोग में दर्ज होती है तो कुल कीमत डी.एल.सी. दर प्रति बीघा 42500/— कुल राशि 106673/— रूपये डवल गणना से होती है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का मनन करने एवं एक तरफा बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम मण्डी के आराजी नम्बर 120 में जाने के लिए आराजी नम्बर 145 की पूर्वी मैड पर डॉटेड लाइन से होता हुआ आराजी नम्बर 147 में अंकित डॉटेड लाइन से होते हुए आराजी नम्बर 124 की पूर्वी मेड पर होकर चारागाह आराजी नम्बर 121 की पश्चिमी मेड पर डॉटेड लाइन से होकर आवागमन होता है। आराजी नम्बर 145 रकबा 116*6=696 मी^{2} हगामी बेवा मोहन बलाई बगैरहा, आराजी नम्बर 147 रकबा 60*6=360 मी^{2} मांगूनाथ पिता केलानाथ जोगी सा0 देह खातेदार, आराजी नम्बर 124 रकबा 136*6=816 मी^{2} मंगना अम्बालाल पिता घीसा बलाई बगैरहा, आराजी नम्बर 121 रकबा 140*6=840 मी^{2} चरागाह डी.एल.सी. दर प्रति बीघा 42500/—रूपये से कुल राशि 106673/— एक लाख छः हजार छः सौ तिहेत्तर रूपये में से संबंन्धित खातेदारों को बतौर मुआवजा भुगतान करने तथा राज्य कोष में जमा कराने पर रास्ता दर्ज किया जाना तहसीलदार रायपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रस्तावित किया किन्तु खसरा नम्बर 124 में प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में कोई रास्ता नहीं चाहा है। और खसरा नम्बर 124 के खातेदार मगना अम्बालाल पिता घीसा बलाई को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। साथ ही खसरा नम्बर 121 रेकार्ड में चारागाह दर्ज है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे आंशिक सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम मण्डी के आराजी नम्बर 120 में जाने के लिए आराजी नम्बर 145 की पूर्वी मैड पर डॉटेड लाइन से होता हुआ आराजी नम्बर 147 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक। आराजी नम्बर 145 रकबा 116*6=696 मी^{2} हगामी बेवा मोहन बलाई बगैरहा, आराजी नम्बर 147 रकबा 60*6=360 मी^{2} मांगूनाथ पिता केलानाथ जोगी सा0 देह का कुल रकबा 1056 वर्गमीटर डी.एल.सी. दर प्रति बीघा 42500/—रूपये से कुल राशि 41555/—रूपये में से संबंन्धित खातेदारों को बतौर मुआवजा भुगतान करने एवं विपक्षी द्वारा भुगतान नहीं लेने पर राज्य कोष में जमा कराने पर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैमु0 रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा